न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– **122/2009** दायर तारीख :– **14.12.2009**

1. भोमाराम
2. रतनलाल
3. खैरू राम
4. मथुरा
5. महेश उर्फ रमेश

पुत्रान छींतर

6. मन्नी पत्नि छींतर

समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील विराटनगर, जयपुर

— वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल
2. रामनिवास
3. रामचन्दर

पुत्रान भगवाना

4. भंवरी पत्नि भगवाना

समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील विराटनगर, जयपुर

5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री गोपाल टांक अधिवक्ता, प्रतिवादी सं॰ 1 लगा॰ 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 11/10/12

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ग्राम जोधूला के रहने वाले है, जहां वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 621 रकबा 9 बिसवा, 622 रकबा 9 बिसवा, 624 रकबा 6 बिसवा, 625 रकबा 3 बिसवा कुल किता 4 कुल रकबा 27 बिसवा दीगर आराजी के साथ स्थित रही है, जिसकी खातेदारी वादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता छींतर एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। हाल सैटिलमेंट दौरान वादीगण की उक्त आराजी से नये नम्बर बनाते समय साबिक

11.10.12
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खसरा नम्बर 621 रकबा 9 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 922/0.10 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 622 रकबा 9 बिसवा, 624 रकबा 6 बिसवा, 625 रकबा 3 बिसवा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 923/0.21 हैक्टेयर बनाये गये है। वादीगण की उक्त आराजी जिसका साबिक रकबा 27 बिसवा था से मीट्रिक प्रणाली के अनुसार हाल सैटिलमेंट के दौरान नया रकबा 0.34155 हैक्टेयर बनाया जाना चाहिए था, परन्तु हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों ने वादीगण की भूमि के साबिक रकबे 27 बिसवा से नया रकबा 0.31 हैक्टेयर बनाया, जो साबिक रकबे की तुलना में 0.03155 हैक्टेयर कम है, जबकि आज भी वादीगण मौके पर साबिक रकबे के मुताबिक ही काबिज काश्त है। वादीगण की भूमि से लगते हुए प्रतिवादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 3 बिसवा, 613 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिसवा यानी 31 बिसवा भूमि रही है, जिसका मीट्रिक प्रणाली से रकबा 0.39215 हैक्टेयर बनता है, परन्तु हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों ने मौका स्थिति के विपरीत प्रतिवादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 612, 613 से बने हाल खसरा नम्बर 921/0.47 हैक्टेयर का साबिक रकबा 1 बीघा 11 बिसवा यानी 0.39215 हैक्टेयर से 0.07785 हैक्टेयर ज्यादा बनाकर दिखाया है। इस प्रकार जहां वादीगण का रकबा साबिक रकबे से लगभग 3 एयर कम करके दिखाया है, वहीं प्रतिवादी की खातेदारी भूमि को लगभग 8 एयर ज्यादा करके दिखाया है। वादीगण एवं उनके सहखातेदारों के मध्य हुए बंटवारे के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 922, 923 वादीगण के हिस्से में आये हुए है। उसी प्रकार वादीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 922, 923 से लगता हुए खसरा नम्बर 921 प्रतिवादी एवं उनके सहखातेदारों के मध्य हुए आपसी बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी के बंट में आया हुआ है एवं खातेदारी भी पृथक-पृथक हो चुकी है, जिससे उनके खिलाफ किसी तरह की रिलीफ नहीं चाही गई है। दावा दायरी के अर्सा 2 माह पूर्व प्रतिवादी, जब वादीगण के डोले की भूमि को काटकर अपने खेत में मिलाने लगे तो वादीगण ने प्रतिवादी को डोला काटने से रोकना चाहा तो प्रतिवादी, वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तथा वादीगण से कहने लगे की हमारे खाते में ज्यादा जमीन है, जो तुम्हारी तरफ से मिलाकर पूरी करेगे, जिस पर वादीगण ने संबंधित रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि साबिक की तुलना में 8 एयर ज्यादा है एवं वादीगण की भूमि 3 एयर कम

11.10.12

उपखण्ड अधिकारी

है, जिससे रिकार्ड दुरूस्त कराना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि हाल सैटिलमेंट में कम कर देने का अनुचित फायदा उठाकर वादीगण के खेत की मेड तोडकर वादीगण की खातेदारी भूमि को अपनी भूमि में मिला लेने में सफल हो गये तो वादीगण को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा, तथा वादीगण को जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन राशि में संभव नहीं होगी, अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हुआ है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें। अतः निवेदन है कि वादीगण को भूमि ग्राम जोधूला के हाल खसरा नम्बर 921 रकबा 0.03 हैक्टेयर उत्तरी भाग पूर्व–पश्चिम लम्बाई का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तरमीम करायी जावे एवं उक्त भूमि का पृथक से नम्बर कायम कराया जाकर प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से नाम हटाया जावे अन्यथा में वादीगण के हाल खसरा नम्बर 922, 923 का हाल रकबा साबिक खसरा नम्बर 621, 622, 624, 625 के कुल रकबा 27 बिसवा के बराबर 0.34 हैक्टेयर कराया जाकर प्रतिवादी के हाल खसरा नम्बर 921 का रकबा 0.03 हैक्टेयर कम कराया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह की बेजा दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि वादीगण ने साबिक खाते की पूरी भूमि का हवाला नहीं दिया है तथा वादीगण के पिता छींतर के साथ अन्य खातेदार कौन–कौन रहे है, उनका भी विवरण दर्ज नहीं किया है तथा उन्हें पक्षकार मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है, जो दावे के आवश्यक पक्षकार है। जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 के खाता संख्या 27 के अनुसार खसरा नम्बर 15, 303, 320, 330, 341, 342, 346, 566, 589, 621, 625, 921, 1009, 1159, 871/1218, 111, 1158, 381, 551, 588, 622, 624, 74, 14 किता 24 रकबा 11 बीघा 16 बिसवा की खातेदारी छींतर पुत्र रेवड हिस्सा 1/4, बाल्या पुत्र रूघा हिस्सा 1/4, महादेव, मूला पिता कालू हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है, वादी ने सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं

11.10.12
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बनाया है, जो दावे हाजा के आवश्यक पक्षकार है, खातेदारों के मध्य कभी भी भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। हाल खसरा नम्बर 922 साबिक खसरा नम्बर 622 मिन से बना है, साबिक खसरा नम्बर 621 का शेष रकबा 0.02 ऐयर भूमि किस हाल खसरा नम्बर में मिलादी गई वादी ने दर्ज नहीं की है। नक्शा ट्रेस के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 621 की शेष 0.02 ऐयर भूमि खसरा नम्बर 924 में मिला दी गई है। रकबा 1 बीघा 7 बिसवा का मिट्रिक प्रणाली से 0.33¼ एयर रकबा बनता है एवं वादी के खाते मे उनके हाल खसरा नम्बर 922/0.10, 923/0.21 अर्थात 0.31 ऐयर भूमि दर्ज कर दी है एवं साबिक खसरा नम्बर 622 का शेष 0.02 एयर रकबा नक्शा ट्रेस अनुसार हाल खसरा नम्बर 924 में मिला दिया गया है, इस प्रकार वादी के इन नम्बरों में केवल 0.01 एयर भूमि कम दर्ज रही है। सैटिलमेंट कार्यवाही मे दो–चार एयर भूमि कम ज्यादा दर्ज होना कोई मायने नहीं रखता है, हो सकता है नाम के अनुसार वादीगण के खेतों का साबिक रकबा 0.31 हैक्टेयर ही बैठता हो, जिसे सैटिलमेंट वालों ने नाप के हिसाब से दर्ज कर दिया है। वादीगण ने भी दर्ज किया है कि वे इन नम्बरों के साबिक रकबे अनुसार आज भी मौके पर काबिज है, उनके कब्जे काश्त की भूमि में कोई कमी नहीं है, वादीगण को अपने खसरा नम्बरों की भूमि की साबिक व हाल खसरा नम्बर से नियमानुसार नाम करवानी चाहिए थी, जो उन्होने नहीं करवायी है। साबिक खसरा नम्बर 612, 613 की प्रतिवादीगण की खातेदारी नहीं रही है, अपितु इनकी खातेदारी नाथ्या पुत्र किशना एवं प्रतिवादी के बुजुर्ग भगवाना पुत्र भूरा की संयुक्त खातेदारी में रही है। वादीगण ने नाथ्या पुत्र किशना अथवा उसके वारिसान को पक्षकार मुकदमा दर्ज नहीं किया है, इस कारण मुकदमा हाजा चलने योग्य नहीं है। साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 3 बिसवा, 613 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा का नया नम्बर 921/0.47 हैक्टेयर बनाया जाना सही है, जो सैटिलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौका स्थिति की नाप के अनुसार सही दर्ज किया है। प्रतिवादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 921 की नपत भी नियमानुसार वादी भोमाराम की उपस्थिति में दिनांक 16.11.2007 को करायी है तथा मौका नपत अनुसार प्रतिवादी के खेत की सीमाऐं सही पायी गई थी। वादीगण के खेत का कोई हिस्सा प्रतिवादी के खेत में नहीं मिलाया गया है। वादीगण ने खातेदारों के मध्य बंटवारे अनुसार भूमि खसरा नम्बर 922, 923 वादीगण के हिस्से में आना व खसरा नम्बर 921 की भूमि प्रतिवादी के हिस्से में आना बदनीयतिपूर्वक दर्ज किया

11.10.12

उपखण्ड अधिकारी

है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारों के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। हाल सैटिलमेंट में हमने पर्चे आपस की सहमति से अलग–अलग बना लिए है। हाल खसरा नम्बर 921 के बदले में सहखातेदारों ने प्रतिवादी से 0.47 हैक्टेयर भूमि ली है, इस कारण भी प्रतिवादी के सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। दावा साबिक व नये नम्बरों के हवाले से किया गया है। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में रिकार्ड में दर्ज अनुसार हाल सैटिलमेंट के पूर्व से ही पूरी भूमि है, जिसकी पुष्टि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.11.2007 से भी होती है। वादीगण दावे की आड में प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 921 की उत्तरी सीमा की मेड जो खसरा नम्बर 921, 922, 923 के मध्य पूर्व पश्चिम लम्बाई में बनी है, उसे काटकर खसरा नम्बर 921 की भूमि को अपने खेतों में मिला लेना चाहते है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी को उनकी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 921 की अपनी इच्छानुसार शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, उत्तरी सीमा मेड की भूमि नहीं काटे।

4. वादीगण का जवाबुल जवाब रहा कि प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 3 बिसवा व 613 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा वादीगण की साबिक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 621, 622, 624, 625 कुल किता 4 कुल रकबा 27 बिसवा से लगते हुए है तथा इन नम्बरों से बने नये नम्बरान की खातेदारी वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि साबिक की तुलना में हाल रकबा ज्यादा दर्ज हुआ है, न की शेष खातेदारों के नम्बरों में ऐसे में साबिक जमाबन्दी के अनुसार पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का रकबा साबिक रकबे की तुलना में 8 एयर बढा है एवं वादीगण का रकबा साबिक की तुलना में 3 एयर कम हुआ है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज करके प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा बढा कर दिखाया गया है। दावा करने से पूर्व साबिक नक्शे एवं हाल नक्शे के अनुसार मौके की सीमाज्ञान कराना पूर्ववर्ती शर्त नहीं है, न ही कानूनी बाध्यता है। हाल सैटिलमेंट में जब खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई, तो शेष व्यक्ति जिनकी खातेदारी में वर्तमान में भूमि दर्ज ही नहीं है को पक्षकार मुकदमा बनाने से

11.10.17

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

वादीगण को क्या रिलीफ मिलेगा। प्रतिवादीगण अनावश्यक व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा बनाकर मुकदमेबाजी को बढाकर वादीगण के दावे की मैन रिलीफ से ध्यान हटाना चाहते है। प्रतिवादीगण ने अपने सहखातेदारों से आपसी सहमति से पर्चे पृथक अपनी साबिक खातेदारी में दर्ज रकबे के हिसाब की है, न की बढे हुए रकबे के हिसाब से, क्योंकि पर्चे आपसी सहमति के बाद बने है। प्रतिवादीगण द्वारा सीमाज्ञान करा लेने से वादीगण के दुरूस्ती के अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रकरण में उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम की गई।

1. आया बरूए जिम्मन नम्बर 1 व 4 वादपत्र विवादित भूमि बाहमी बंटवारे से उनके हिस्से की भूमि है, जिसमें साबिक खातेदारी से .3 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है एवं उस रकबे को प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 612, 613 से बने हाल खसरा नम्बर 921 में मिला दिया गया है, जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है ?

— जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 923 के साबिक खसरा नम्बर 622, 624, 625 के साबिक खातेदारों को एवं साबिक खसरा नम्बर 612, 613 के साबिक खातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जो दावे के आवश्यक पक्षकार है, दावा चलने योग्य नहीं है व इसका असर ?

— जिम्मे प्रतिवादीगण

3. आया वादीगण को नये सैटिलमेंट की पूरी जानकारी रही है एवं दावा मियाद बाहर पेश किया गया है एवं प्रतिवादीगण का भूमि मुतनाजा पर कब्जा मुखालफाना हो गया है ?

— जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया दावा हाजा 80–1 जाप्ता दीवानी के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नहीं है ?

— जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया प्रतिवादीगण बरूए जिम्मन नम्बर 13 जवाबदावे, वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

— जिम्मे प्रतिवादीगण

6. वादी ने अपने वादपत्र/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 70 संवत् 2063–2066 Ex.-1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 14 संवत् 2063–2066 Ex.-2, नकल नक्शा ट्रेस Ex.-3, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-4, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038

11.10.17

Ex.-5, नकल जमाबन्दी संवत् 2031–2034 Ex.-6, नकल खतौनी जमाबन्दी संवत् 2039 Ex.-7, नकल जमाबन्दी खतौनी संवत् 2039 Ex.-8, नकल नक्शा फोटोप्रति लठ्ठा ट्रेस चकतराशी Ex.-9 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

मौखिक साक्ष्य के रूप में खैरू राम पुत्र छींतर PW.-1, रतनलाल पुत्र छींतर PW.-2 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किये, जिनमें गवाह PW.-1 को न्यायालय में परीक्षित भी करवाया गया है।

7. प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 14 संवत् 2063–2066 Ex.D-1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 142 संवत् 2063–2066 Ex.D-2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 86 संवत् 263–266 Ex.D-3, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 142 संवत् 2063–266 Ex.D-4, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 64 संवत् 2062–265 Ex.D-5, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 21, 35 संवत् 2062–2065 Ex.D-6, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 57, 70 संवत् 2063–2066 Ex.D-7, नकल नक्शा ट्रेस Ex.D-8, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.D-9, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2035–2038 Ex.D-10, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038 Ex.D-11, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038 Ex.D-12, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038 Ex.D-13, नकल जमाबन्दी संवत् 2035–2038 Ex.D-14, नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या 11 Ex.D-15 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

मौखिक साक्ष्य के रूप में कन्हैयालाल पुत्र भगवाना DW.-1 का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। उपस्थित वादीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है :–

तनकी संख्या 1 : – आया बरूए जिम्मन नम्बर 1 व 4 वादपत्र विवादित भूमि बाहमी बंटवारे से उनके हिस्से की भूमि है, जिसमें साबिक खातेदारी से 3 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है एवं उस रकबे को प्रतिवादी के साबिक खसरा नम्बर 612, 613 से बने हाल खसरा नम्बर 921 में मिला दिया गया है, जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने भार वादीगण पर रहा है। प्रकरण में वास्तविक विवाद साबिक खसरा नम्बर 621, 622, 624, 625 किता 4 रकबा 27 बिसवा का हाल सैटिलमेंट में 0.03 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर

11.10.17

उपखण्ड अधिकारी

दिये जाने से खातेदारी दुरूस्ती के संबंध में है। मुताबिक जमाबन्दी Ex.-1 हाल खसरा नम्बर 922, 923 वर्तमान खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि वादी का साबिक रकबा 27 बिसवा था, जिसे मिट्रिक प्रणाली अनुसार नया रकबा 0.34155 हैक्टेयर बनाया जाना चाहिए था जबकि हाल सैटिलमेंट में साबिक रकबा 27 बिसवा से नया रकबा 0.31 हैक्टेयर बनाया गया जो साबिक की तुलना में 0.03155 हैक्टेयर कम है। यह भी कि वादीगण की भूमि से लगते हुए प्रतिवादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 3 बिसवा, 613 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा किता 2 रकबा 1 बीघा 11 बिसवा यानी 31 बिसवा भूमि रही है, जिसकी मिट्रिक प्रणाली से रकबा 0.39215 हैक्टेयर बनता, परन्तु सैटिलमेंट कार्यवाही में मौकास्थिति के विपरीत प्रतिवादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 612, 613 से बने हाल खसरा नम्बर 921/0.47 हैक्टेयर को साबिक रकबा 1 बीघाा 11 बिसवा यानी 0.39215 हैक्टेयर से 0.07785 हैक्टेयर ज्यादा बनाकर दिखाया गया।

जमाबन्दी खाता संख्या 70 संवत् 2063–2066 Ex.-1 आराजी खसरा नम्बर 664, 697, 698, 877, 902, 922, 923, 931, 1124, 1125, 656 की खातेदारी वादीगण के नाम तथा Ex.-2 आराजी खसरा नम्बर 714, 848, 862, 865, 879, 895, 921, 1128, 661 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण ने साबिक खसरा नम्बर 621, 622, 623, 624, 625 का रकबा 27 बिसवा बताया है, व इसके हाल खसरा नम्बर 922/0.10, 923/0.21 बनना बताया है, जबकि मिलान क्षेत्रफल Ex.D-9 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 613, 612 से हाल खसरा नम्बर 921/0.47 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 614 से हाल खसरा नम्बर 920/0.11 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 615 से खसरा नम्बर 916/0.05, 616 से खसरा नम्बर 917/0.05, 617 से 918/0.04, 618, 619 से 919/0.25, 620 मिन से 925/0.03, 926/0.02 हैक्टेयर, 621 मिन से खसरा नम्बर 922/0.10, 930/0.12 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 622, 624, 625 से हाल खसरा नम्बर 923/0.21 हैक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 623, 626 से हाल खसरा नम्बर 924/0.35 हैक्टेयर कायम किये गये है। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071 खाता संख्या 121 में दर्ज खसरा नम्बर 930/0.12 हैक्टेयर दीगर खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिनको वादीगण ने हस्तगत वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है।

11.10.17

खण्ड अधिकारी

जमाबन्दी संवत् 2035–2038 खाता संख्या 27 अनुसार खसरा नम्बर 15, 303, 320, 330, 341, 342, 346, 566, 589, 621, 625, 921, 1009, 1159, 871/1218, 111, 1158, 381, 551, 588, 622, 624, 74, 14 किता 24 रकबा 11 बीघा 16 बिसवा की खातेदारी छींतर पुत्र रेवड हिस्सा 1/4, बाल्या पुत्र रूघा हिस्सा 1/4, महादेव, मूला पिता कालू हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 922 साबिक खसरा नम्बर 622 मिन से बना है। जमाबन्दी संवत् 2035–2038 में कुल 24 खसरा नम्बर है, जिनका रकबा 11 बीघा 16 बिसवा है, वादीगण ने उक्त सभी खसरा नम्बरान के संबंध दावा पेश नहीं कर मात्र दो खसरा नम्बरान का दावा पेश किया है। वादपत्र मे यह स्पष्ट नहीं है कि साबिक खसरा नम्बर 621 मिन से बने हाल खसरा नम्बर 922 का रकबा किस खसरा नम्बर में मिलाया गया, इस बात की पुष्टि नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल से होती है कि साबिक खसरा नम्बर 621 का शेष रकबा 0.02 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 924 में मिलाया गया है, जो दीगर खातेदारों के नाम से है।

प्रतिवादीगण साबिक सैटिलमेंट के समय से अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आये है। प्रतिवादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 921 की नपत भी नियमानुसार वादी भोमाराम की उपस्थिति में दिनांक 16.11.2007 को करायी है तथा मौका नपत अनुसार प्रतिवादी के खेत की सीमाऐं सही पायी गई हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादीगण निर्णीत की जाती है।

आया वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 923 के साबिक खसरा नम्बर 622, 624, 625 के साबिक खातेदारों को एवं साबिक खसरा नम्बर 612, 613 के साबिक खातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जो दावे के आवश्यक पक्षकार है, दावा चलने योग्य नहीं है व इसका असर ?

आया वादीगण को नये सैटिलमेंट की पूरी जानकारी रही है एवं दावा मियाद बाहर पेश किया गया है एवं प्रतिवादीगण का भूमि मुतनाजा पर कब्जा मुखालफाना हो गया है ?

आया दावा हाजा 80–1 जाप्ता दीवानी के नोटिस के अभाव में चलने योग्य नहीं है ?

आया प्रतिवादीगण बरूए जिम्मन नम्बर 13 जवाबदावे, वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

11.10.12

उपखण्ड अधिकारी

तनकी संख्या 2 लगायत 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। वस्तुतः वादीगण के जिम्मे तनकी को वादीगण साबित नहीं कर पाये हैं, इससे प्रतिवादीगण द्वारा साबित करने वाली तनकियात का विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं रहा है, फिर भी तनकियात के संबंध में यह कि राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही जमाबन्दी संवत् 2035–2038 खाता संख्या 27 अनुसार खसरा नम्बर 15, 303, 320, 330, 341, 342, 346, 566, 589, 621, 625, 921, 1009, 1159, 871/1218, 111, 1158, 381, 551, 588, 622, 624, 74, 14 किता 24 रकबा 11 बीघा 16 बिसवा की खातेदारी छींतर पुत्र रेवड हिस्सा 1/4, बाल्या पुत्र रूघा हिस्सा 1/4, महादेव, मूला पिता कालू हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। जमाबन्दी संवत् 2035–2038 में कुल 24 खसरा नम्बर है, जिनका रकबा 11 बीघा 16 बिसवा है, वादीगण ने उक्त सभी खसरा नम्बरान के संबंध दावा पेश नहीं कर मात्र दो खसरा नम्बरान का दावा पेश किया है। वादी ने सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जो दावे हाजा के आवश्यक पक्षकार है, यह भी कि खातेदारों के मध्य कभी भी भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि साबिक रकबे अनुसार आज भी मौके पर काबिज है, उनके कब्जे काश्त की भूमि में कोई कमी नहीं है, वादीगण को अपने खसरा नम्बरों की भूमि की साबिक व हाल खसरा नम्बर से नियमानुसार नाम करवानी चाहिए थी, जो उन्होने नहीं करवायी है। साबिक खसरा नम्बर 612, 613 की प्रतिवादीगण की खातेदारी नहीं रही है, अपितु इनकी खातेदारी नाथ्या पुत्र किशना एवं प्रतिवादी के बुजुर्ग भगवाना पुत्र भूरा की संयुक्त खातेदारी में रही है। वादीगण ने नाथ्या पुत्र किशना अथवा उसके वारिसान को पक्षकार मुकदमा दर्ज नहीं किया है। साबिक खसरा नम्बर 612 रकबा 3 बिसवा, 613 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा का नया नम्बर 921/0.47 हैक्टेयर बनाया जाना सही है, जो सैटिलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौका स्थिति की नाप के अनुसार सही दर्ज किया है। प्रतिवादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 921 की नपत भी नियमानुसार वादी भोमाराम की उपस्थिति में दिनांक 16.11.2007 को करायी है तथा मौका नपत अनुसार प्रतिवादी के खेत की सीमाऐं सही पायी गई थी। हाल खसरा नम्बर 921 के बदले में सहखातेदारों ने प्रतिवादी से 0.47 हैक्टेयर भूमि ली है, इस कारण भी प्रतिवादी के सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है। दावा साबिक व नये नम्बरों के हवाले से किया

11.10.12
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गया है। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में रिकार्ड में दर्ज अनुसार हाल सैटिलमेंट के पूर्व से ही पूरी भूमि है, जिसकी पुष्टि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.11.2007 से भी होती है। वादीगण, प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 921 की उत्तरी सीमा की मेड जो खसरा नम्बर 921, 922, 923 के मध्य पूर्व पश्चिम लम्बाई में बनी है, उसे काटकर खसरा नम्बर 921 की भूमि को अपने खेतों में मिला लेना चाहते है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है, इस संबंध में वादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 2 लगायत 5 बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 11.10.17 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
बिराटनगर